

न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 151/18

1. बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश पुत्र महाराज सिंह  
आयु 30 साल जाति जाटव
2. बेदराम पुत्र नाहरसिंह आयु 40 साल जाति जाटव  
निवासीगण वार्ड नं0 16 गांधी नगर गोहद जिला  
भिण्ड, म.प्र. —आवेदक

विरुद्ध  
पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 156/18

निककी उर्फ निशांत बरैया पुत्र प्रदीप कुमार बरैया  
आयु 22 साल जाति जाटव निवासी वार्ड नं02  
गंज बाजार गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध  
पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

26-04-18

सभी आवेदक/अभियुक्तगण बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश, वेदराम एवं निककी उर्फ निशांत बरैया की ओर से श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आरक्षी केंद्र गोहद से अप0क्र0 77/18 धारा 323, 294, 452, 427, 336, 506, 147, 148, 149 भा0दं0सं0 से संबंधित केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 151/18 आवेदकगण बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश, वेदराम का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। जमानत आवेदन क्रमांक 156/18 आवेदक निककी उर्फ निशांत बरैया का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश, वेदराम एवं निककी उर्फ निशांत बरैया की ओर से गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 का खारिज हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उपरोक्तानुसार प्रथम नियमित

जमानत आवेदनों के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं।

सभी आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पर उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण बल्लू सेमर उर्फ अवनीश, वेदराम एवं निक्की उर्फ निशांत बरैया की ओर से निवेदन किया गया है कि कथित अपराध में पुलिस थाना गोहद द्वारा आवेदकगण को गलत रूप से अभियुक्त बनाया है, जबकि फरियादी भानुप्रताप सिंह तोमर की लेखीय रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा 161 दं०प्र०सं० में आवेदकगण का नाम नहीं है। आवेदकगण का उक्त कथित अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण का कथित अपराध से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कौफियत सहित केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 02.04.18 को फरियादी भानुप्रताप सिंह अपने मकान में स्थित किराने की दुकान पर बैठा था, उस समय वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद पति वेदराम जाटव व बल्लू सेमर के साथ लगभग 200 लोग हाथों में पत्थर, लाठियों लेकर आ गये और दुकान के शटर डालने लगे, मना करने पर उसके उपर लाठियों व पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर व नाक में चोट आई व खून निकलने लगा, मकान के शीशे टूट गये तथा भीड़ ने दुकान के अंदर आकर लूटपाट की।

उक्त घटना की फरियादी भानुप्रताप सिंह द्वारा लिखित रिपोर्ट लिखाये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अप०क्र० 77/18 धारा 323, 294, 452, 427, 336, 506, 147, 148, 149 भा०दं०सं० पंजीबद्ध किया जाकर मामला विवेचना के प्रक्रम पर है। मामले में अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण के उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप बल एवं हिंसा के प्रदर्शन के कारण समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित होकर सामाजिक सौहार्द बिगड़ना एवं लोकशांति भंग होना बताया गया है, जो कि अति गंभीर प्रकृति का अपराध

है तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही जमानत के इस प्रक्रम पर मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अतः अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों आवेदक/अभियुक्तगण **बल्लू, सेंमर उर्फ अवनीश, वेदराम एवं निक्की उर्फ निशांत बरैया** को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)